

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 588]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर 2020 — कार्तिक 20, शक 1942

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-25/2018/नौ/55-तीन. — छत्तीसगढ़ होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्र. 19 सन् 1976) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 2379/2001/चिकि. शि./55, दिनांक 25 मई, 2001 और क्रमांक एफ 21-05/2001/नौ/55, दिनांक 31 जनवरी, 2008 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य होम्योपैथी परिषद् का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, जो कि राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी, अर्थात् :-

1. डॉ. दिलीप मुकुंद पिम्पले, प्राचार्य, रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रायपुर.
2. डॉ. सत्यजीत ठाकुर, प्रोफेसर, चौकसे मेमोरियल होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बिलासपुर.
3. डॉ. विजय लक्ष्मी नवरंगे, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माकडी, जिला कोण्डागांव.
4. डॉ. नितेश अग्रवाल, मेसर्स जर्मन रेमेडिज, 5/1, दक्षिण गंगोत्री, सुपेला, भिलाई.
5. डॉ. अमीन फिरदौसी, महामाया मंदिर, नवागांव, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा.
6. श्री नटराज शर्मा, राज फार्मासिटिकल्स द्वारा श्री बालाजी होम्योपैथी, आजाद चौक, सदर रोड, बाल समाज वाचनालय, रायपुर.
7. श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल, निशांत मेडिकोज, देवीगंज रोड, अंबिकापुर.
8. डॉ. आनंद गुहा, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, महाराणा प्रताप होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर.
9. डॉ. वसुधा मिश्रा, प्राचार्य, महाराणा प्रताप होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर.

No. F 2-25/2018/IX/55-3.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976) and in supersession of department's notification No. F 2379/2001/Med. Edu./55, dated 25st May, 2001 and No. F 21-05/2001/IX/55, dated 31st January, 2008, the State Government, hereby, constitutes the Chhattisgarh State Homeopathy Council, which shall include the following members with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely :-

1. Dr. Dilip mukund pemple, Principal, Raipur Homoeopathy Medical College and Hospital, Raipur.
2. Dr. Satyajeet Thakur, Professor, Chouksey Memorial Homoeopathy Medical College and Hospital, Bilaspur.
3. Dr. Vijaylaxmi Navrange, Homoeopathy Medical Officer, C. M. C. Makadi, District Kondagaon.
4. Dr. Nitesh Agrawal, M/S German Remedies, 5/1, Dakshin Gangotri, Supela, Bhilai.
5. Dr. Amin Firdousi, Mahamaya mandir, Navagaon, Ambikapur District Surajpur.
6. Shri Natraj Sharma, Raj Pharmaceuticals C/o. Shri Balaji Homeopathy, Azad Chowk, Sadar Road, Bal Samaj Vachnalaya, Raipur.
7. Shri Krishan Kumar Agrwal. Nishant Medicoj, Deviganj Road Ambikapur.
8. Dr. Anand Guha, Homeopathy Medical Officer, Maharanapratap Homeopathy Medical College, Raipur.
9. Dr. Vasudha Mishra, Principal, Maharanapratap Homeopathy Medical College, Raipur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.